प्रारूप—2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) सवाई माधोपुर

क्रमांक : जिशिअ/प्रा/समा/सामा/13/437 दिनांक : 21-6-13

व्यवस्थापक/अध्यक्ष
प्रबंधन समिति
फतेह पब्लिक स्कूल
सवाई माधोपुर

विषयः— नियम 8ए के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण—पत्र।

महोदय/महोदया

आपके दिनांक........................ के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्रांचार/निरीक्षण के उपरान्त मै फतेह पब्लिक स्कूल सवाई माधोपुर .... को सत्र 2012—13 से 2014—15 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा 1 से 8 तक के लिये प्रोविजनल मान्यता (अंग्रेजी माध्यम) प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरा किए जानें के अध्यधीन है—

1. मान्यता की मंजरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा—5 के पश्चात् मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009(उपाबंध 1) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में, अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षा में उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस—पडोस के कमजोर वर्गो और असुविधाग्रस्त समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा—3 निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा—12 (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता—पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किस बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा। यदि ऐसे प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है। विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि—
   1. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।

For Chairman
Fateh Public School
Sawai Madhopur (Raj.) 322001

PRINCIPAL
FATEH PUBLIC SCHOOL
Ranthambhore Road,
Sawai Madhopur-Rajasthan-322001

2. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जायेगा।
3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।
4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के नियम–23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
5. अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना ।
6. अध्यापकों की भर्ती की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तुं और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
8. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों मे नियोजित नही करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपातमे विद्यार्थियों का नामांकन करेगा। विद्यालय अधिनियम की धारा–19 यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों का बनाए रखेगा। अतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाऐं निम्नानुसार है–
   विद्यालय परिसर का क्षेत्र
   कुल निर्मित क्षेत्र
   कीडा स्थल का क्षेत्रफल
   कक्षा कमरो की संख्या
   प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्षा
   बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
   पेयजल सुबिधा
   मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई
   बाधा रहित पहूंच
   अध्यापक पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलबधता
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नही चलाई जाएगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. विद्यालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टिों के समूह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की चार्टड अकाउंटेंट द्वारा सपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) सवाई माधोपुर को भेजी जानी चाहिए।

Chairman
Fateh Public School
Sawai Madhopur (Raj.) 322001

PRINCIPAL
FATEH PUBLIC SCHOOL
Ranthambhore Road,
Sawai Madhopur-Rajasthan-322001

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या ....437.... है। कृपया इस नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करे।

15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर/ जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक सवाई माधोपुर द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण,यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।?

17. संलग्न उपाबंध–III के अनुसार अन्य कोई शर्त।

(1) संस्था को 31 मार्च 2013 तक आरटीई 2009 मानदण्डानुसार विद्याललय के आधारभूत सुविधांओं यथा विद्यालय भवन खेल मैदान आदि की पूर्ति करना अनिवार्य होगा।

(2) संस्था को 31 मार्च 2015 तक विद्यालय में आरटीई 2009 मानदण्डानुसार न्यूनतम अर्हता प्राप्त प्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त करना अनिवार्य होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारम्भिक) सवाई माधोपुर

क्रमांक : जिशिअ/प्रा/समा/सामा/13/437 दिनांक : 21-6-13.

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ

1. निदेशक महोदय, प्रा.शि. राजस्थान–बीकानेर ।
2. उपनिदेशक महोदय, प्रा.शि. भरतपुर।
3. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ....
4. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारम्भिक) सवाई माधोपुर

For Chairman
Fateh Public School
Sawai Madhopur (Raj.) 322001

PRINCIPAL
FATEH PUBLIC SCHOOL
Ranthambhore Road,
Sawai Madhopur-Rajasthan-322001